

संख्या

(अनुमण्डल का नाम)

दिनांक

प्रमाण-पत्र

Construction of 33kV Transmission Line of
DVC for 16MVA Power Supply to M/s CCL, Karo Konar
OCN from DVC- BTPS S/Yard

1. प्रमाणित किया जाता है कि (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित गौजा गौबिंदपुर अंतर्गत 9.88 ए०(3-998 ई०) (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत Settlement of right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख सलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

अध्यक्ष

ग्राम वनाधिकार समिति

गौबिंदपुर

अंचल बरेली

दिनांक

construction of 33 KV Transmission line of
DVC for 12 MVA power supply to m/s EEL Karo Konar

अंचल.....चेरमा

मीजा - कुरपनियां

आज दिनांक 11-9-19 को पंचायत भवन कुरपनियां में
 उपर समाहर्ता, जो कोरी के पत्रांक 2426 दिनांक 16-11-18 एवं
 ऑचल अधिकारी बेरमो के पत्रांक 918 दिनांक 28-8-19
 के आदेशानुसार 33/KV/7/C ग्राम-समिति लाईन देव
 कुरपनियां मीजा के खार नं. 1, लोट नं. 3 का F.R. के
 तहत दावा से संबंधित एक ग्राम समिति का आयोजन
 मुखिया ग्राम पंचायत कुरपनियां के अध्यक्षता में किया
 गया। ग्राम समिति में निम्न विहित मासिक उपस्थित हुए

नामों का हस्ताक्षर:-

	Deedar / Kourapnia	Kaitha Panch
1) Narayan Kumar	सचिव	मुखिया का हस्ताक्षर
2) Kailash Kumar	ग्राम नगरिकार	ग्राम पंचायत कुरपनियां
(3) Gajendra Kumar	समिति कुरपनियां	मुखिया
4) Balakumar	श्री दु सिंह	ग्राम-पंचायत कुरपनियां
5) Nareesh Kumar		प्रखण्ड-बेरमो (ग्राम-पंचायत)
6) Shyam Mohan		बुल्लाल मुर्मू
7) रामदास		11-9-19
8) महेश सिंह		ऑचल अधिकारी,
9) विष्णु कुमार		बेरमो
10) जयंत कुमार		
मीनदेवराट		
1) Deepak Kumar		राकेश कुमार
1) Gopal Kumar		SDE (E), TSC-III, DRC
1) प्रकाश कुमार		BTPS
Kalrik Mopi		
Bablu Kumar		भूपेन्द्र सिंह
Kishan Kumar		Charged and TSC-III, DRC
शैलेश कुमार		BTPS
Taj. Gajendra		नवीन कुमार
B. B. Kumar		
Rohit. K.		
Rahul Kumar		
Ganesh K. R.		
1) ...		
1) ...		
1) ...		

27. नकी दुमन

(28)  काजरी देवी

(29)  पैभीया देवी

(30)  ओ हिला देवी

छोइगांते देवी
कवैया

(32) - गीशाद काष्ठम

33. ~~पपाव कामर~~

34) कांजली देवी

35) स्वता कुमारी

36) शकुल कुमार

उन का तुमिया देवी

(38) किला देवी

(39)  तुसीमां देवी

(40) वसंती कुमारी

(41) विजय सिंग

(42) जहानी देवी

(43)  मासनी देवी

(44)

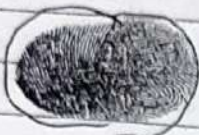
(45)  सुरंती देवी

(46) सीना देवी

10. शिव म. महाराज

50) गोविन्द महाराज

50) गुड़ीया देवी

51)  शनीया देवी

52)  श्रीपती देवी

53) हरीश

54) Arush Sahani BFT Beemollock Mahara

किन्हीं भी ग्राहकों के द्वारा कोई दवा एवं उपचार
नहीं किया गया।

ग्राम समा की कार्यवाही सम्पन्न की
गई। सधनमवादा

वसु पुरी
मुद्रित 11/9/19

ग्राम पंचायत,

कुरुक्षेत्र

मुख्या

ग्राम-पंचायत कुरुक्षेत्र

प्रखण्ड-वेरमा (बोकारो)

संख्या

(अनुमण्डल का नाम)

दिनांक

प्रमाण-पत्र

- Construction of 33KV Transmission line of DVC
for 16 MVA Power Supply to M/s CCL/Koro Korur
DVC from DVC to BTF 5/2 road
- परियोजना
मौजा-कुरपनिगा ठन्गति 1-06 ए० (0-429 ई०)
1. प्रमाणित किया जाता है कि (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत Settlement of right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख सलग्न है।
 2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
 3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
 4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-(1) (c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
 5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

हीरा लाल मजरा

अध्यक्ष

ग्राम वनाधिकार समिति

कुरपनिगा

अंचल बेरमो

प्रमाण-पत्र

Construction of 33.kv Transmission line of
DVC for 15 MVA power supply to m/s CCL Kato Konar
DVC from DVC B.T.S. 2/yard परियोजना का नाम - 1 रकबा -
1.05 हे. (0.429 हे.)

1. प्रमाणित किया जाता है कि (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख सलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिग जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

हीरा लाल खन्ना

अध्यक्ष

ग्राम वनाधिकार समिति

अंचल
बुरगानिया
करमा

ग्राम स्वामि - गोबीन्दपुर ✓

आज दिनांक 4-12-18 को अपर कमांडांत वीरको के पत्रांक 2426, दिनांक 16-11-18 एवं अंचल अधिकारी, जेलों के निर्देशावली 33 RV D/C इन्विजिशन लाइन हेतु बालपुर चोक (बालपुर) में खाना नं 91 प्लॉट 2765, 2766 का प्लॉट नं 2767, 403, 404 के तहत इदावा से संबंधित एक ग्राम स्वामी का आयोजन भूमीय, अंचल अधिकारी अधिसूचना में किया गया। ग्राम स्वामी निम्नलिखित प्राप्ति उपस्थित हुए।

Arju Alam
5/12/18
मुखिया
गोबिन्द
अध्यक्ष

ग्रामिणों की दस्तावेज

गोपाल राजक (अविवाहित पंजाबी)

अध्यक्ष वगैरह अधिकारी गोबीन्दपुर

- ① Shakeel Ahmad
- ② श्री श्री महल
- ③ श्री सावित्री
- ④ 22/12/18/18
- ⑤ श्री शाहिद खान
- ⑥ श्री रामचंद्र खान
- ⑦ वापेश्वर भागवत

5/12/18
अम

आदित्य भंडूक
सहायक आम
दा. धा. नि.

संबंधित दस्तावेज के द्वारा दो ग्रामिणों के हक प्रमाण

दिए गए एक एक की कार्यवाही अधिसूचना के द्वारा ग्रामिणों की दस्तावेजों की दोषणा किया गया

- ① दावेदारों का नाम
- ② वापेश्वर भागवत - अम - गोबीन्दपुर
- ③ गुजरात शाहीर

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)

पत्रांक- 347 /

प्रेषक, अंचल अधिकारी,
बेरमो (बोकारो)।

सेवा में, अनुमण्डल पदाधिकारी,
बेरमो (तेनुघाट)।

बेरमो, दिनांक- 01/06/23 /

विषय- FRA 2006 के तहत अभिलेख का प्रेषण।

प्रसंग- भवदीय पत्रांक- 300 / क0 दिनांक- 21.11.2022

महाशय, उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दामोदर घाटी निगम के पत्रांक-355 दिनांक- 16.06.2021 के आलोक में भवदीय पत्रांक-300 / क0 दिनांक- 21.11.2022 द्वारा DVC BTPS यार्ड से कारो/कोनार OCW को 16 mva बिजली आपूर्ति हेतु 33 kv dc ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

उक्त संबंध में FRA 2006 के तहत अनापति से संबंधित अभिलेख मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति एवं विहित प्रपत्र में ग्राम वनाधिकार समिति के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है संलग्न है।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Received
by
01/06/23
O/C

01/06/23
अंचल अधिकारी,
बेरमो (बोकारो)
01/06/23

(11) Punjab

(9)

(12) केरल

(13) मानव

(14) Redox

प्राग सभा में ग्रामीणों के साथ निम्न प्रस्ताव रखे गए थे

(1) स्थानीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीणों की प्राथमिकता

(2) विशेष रूप से ग्रामीणों की अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देना

(3) ग्रामसमिति कार्डन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि प्लॉट नं० 2745, 2746, 2747 अधिसूचित भूमि का ही प्रयोग किया जाय

उपरोक्त शर्तों के आधार पर मनापति दिया जा सकता है

अतः मैं सचिववाद ग्रामसभा की कार्यवाही सभापति की अध्यक्षता की होगी

श्री. जे. ए. लाल
ग्रामसभा अध्यक्ष की
सहस्र

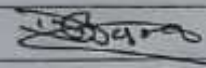
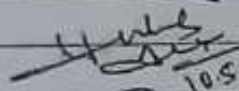
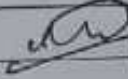
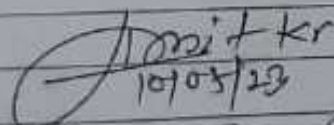
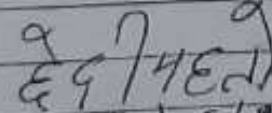
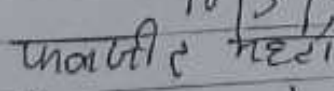
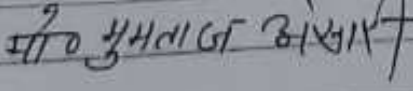
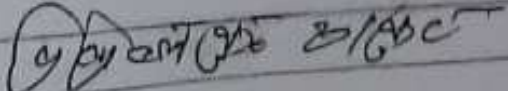
पंचायत समिति "ए"
बल्लभपुर, बल्लभपुर (महाराष्ट्र)

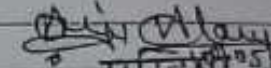
ग्रामसभा दिनांक 10.05.2023.

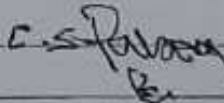
अनुमोदित पंचायतकारी वेरमी तैय्यार के पत्रांक 300/क0 दिनांक 21.11.22 के आलीक में संचाल अधिकारी वेरमी के मातेय जापांक 686 दिनांक 21.11.22 के मातेयानुसार ही0की0 मी0 8795 गडि में पीठ मी0 शल0 कादी कीतार 0000 को 10 MVA बिजली आपूर्ति हेतु 22 MVA 0/0 ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु अधिगणित भूमि भौजा - मोकिन्दपुर अंतर्गत वकासा नं0 9 प्लॉट नं0 2725, 2765, 2767 इका क्रमशः 0.64 ए0 0.768 ए0, 0.43 ए0 कुल इका - 1.838 ए0 गै0 इकाय वनभूमि का ज्ञापति हेतु प्रमाण पत्र हेतु आज दिनांक 10.05.2023 को ग्राम पंचायत मोकिन्दपुर 'अ' निम्न पंचायत भवन में स्थानीय सुरिक्षा की अक्षरता में ग्राम पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निर्मांकित पंचायतकारी कर्मचारी वी ग्रामीण उपस्थित हुयी

ग्रामीणों का हस्ताक्षर

- ① 
- ② 
10/5/23
- ③ 
10/5/23
- ④ 
10/5/23
- ⑤ 
10/5/2023
- ⑥ 
- ⑦ 
- ⑧ MD. JAWED HUSAIN.
- ⑨ 
- ⑩ 


 10/5/2023 ग्राम पंचायत सुरिक्षा (मुख्य)
 ग्राम सभा, मोकिन्दपुर
 प्रमुख-वर्मा, दोतारों (आखण्ड)
 मो0 शरद कान्हा
 पंचायत समिति
 सदस्य
 मोकिन्दपुर 'अ'

 10/5/23
 आ. क. 11
 जे. 11


(अनुमण्डल का नाम)

दिनांक- 10.05.2023

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 3.3 kVA Transmission line (D/C) of O.V.C परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित Khata 91, plot 2745 2745 2747 (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत Settlement of right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

रवि मुण्डू

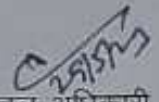
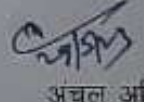
अध्यक्ष

ग्राम वनधिकार समिति/सचिव

श्रीविन्दपुर

अंचल बैरौ

आदेश फलक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी सहित																														
	केस का प्रकार— FRA (DVC Transmission Line) अभिलेख सं०—.....०१/2023-24																															
29.05.23	दामोदर घाटी निगम के पत्रांक-356 दिनांक-16.06.2021 के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) का पत्रांक- 300/क० दिनांक-21.11.2022 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत DVC BTPS गार्ड से कारो/कोनार OCW को 16 mva बिजली आपूर्ति हेतु 33 kv DC ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। भूमि की विवरणी निम्नवत है - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>अचल का नाम</th><th>मौजा</th><th>थाना न०</th><th>खाता न०</th><th>प्लॉट न०</th><th>रकबा (ए० मं)</th><th>किस्म</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td rowspan="4">बेरमो</td><td rowspan="4">गोविन्दपुर</td><td rowspan="4">15</td><td rowspan="4">91</td><td>2745</td><td>0.64</td><td rowspan="3">गैरमजरूआ खास किस्म जंगल (अधिसूचित वन भूमि)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2765</td><td>0.768</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2767</td><td>0.43</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">कुल रकबा</td><td>1.838</td><td></td></tr> </tbody> </table> उक्त के संबंध में दिनांक 10.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मौजा गोविन्दपुर अन्तर्गत गोविन्दपुर 'ए' पंचायत भवन में स्थानीय मुखिया अंजु आलम की अध्यक्षता एवं ग्राम वनाधिकार समिति की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम वनाधिकार समिति के सचिव रवि मुण्डा, अचल अमीन, प्रभारी अचल निरीक्षक, DVC BTPS के पदाधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में किन्हीं के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित दावा आपत्ति नहीं की गई है। विहित प्रपत्र में ग्राम वनाधिकार समिति गोविन्दपुर के सचिव रवि मुण्डा के द्वारा हस्ताक्षर कर अनापति दिया गया है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) को भेजे। लेखापित  अचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)  अचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	क्र०	अचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (ए० मं)	किस्म	1	बेरमो	गोविन्दपुर	15	91	2745	0.64	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल (अधिसूचित वन भूमि)	2	2765	0.768	3	2767	0.43	कुल रकबा						1.838		
क्र०	अचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (ए० मं)	किस्म																									
1	बेरमो	गोविन्दपुर	15	91	2745	0.64	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल (अधिसूचित वन भूमि)																									
2					2765	0.768																										
3					2767	0.43																										
कुल रकबा						1.838																										